न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी - श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 256 / 2018
निर्णय दिनांक 03.04.2025
GCMS No - 2018/00276

मघाराम पुत्र मालूराम जाति धानक निवासी वार्ड संख्या 20 छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

.................वादी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री बोदूराम जाति धानक पत्नी केशराराम निवासी ग्राम पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. कानाराम पुत्र बोदूराम जाति धानक निवासी रतनगढ़ रोड़ के पास वार्ड संख्या 20 छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
3. पतूदेवी पुत्री पूराराम पत्नी हुक्माराम जाति धानक निवासी ग्राम बड़ाडर तहसील सीकर जिला सीकर राजस्थान
4. भंवरी देवी पुत्री पूराराम पत्नी सुगनाराम जाति धानक निवासीनी ग्राम गुडावडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
5. सन्तोष पत्नी बोदूराम जाति धानक निवासीनी रतनगढ़ रोड़ के पास वार्ड संख्या 20 छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
6. सुमन देवी पुत्री बोदूराम जाति धानक पत्नी भींवाराम निवासीनी पार्वतीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
7. सोहनी पुत्री पूराराम पत्नी हेमाराम जाति धानक निवासी ग्राम दीपसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

......प्रतिवादीगण

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थितः–

1. श्री अमरसिंह राठौड़ व श्री सुल्तान सिंह एडवोकेट वादी।
2. श्री जगवीर गोदारा व श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07।
3. प्रतिवादी संख्या 08 राज पैरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 07 के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग का खेत खसरा संख्या 10 तादादी 3.7555 हैक्टेयर, खसरा नं. 53 तादादी 1.3277 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 तादादी 2.6807 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 7.7639 हैक्टेयर वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वादगत भूमि में वादी का 1/2 राजस्व रिकॉर्ड मे हिस्सा नियत है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी के स्वामित्व मालिकाना अधिकार में चली आ रही है। दावा जिसके विभाजन हेतु वादीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्तुत तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 10 तादादी 3.7555 हैक्टेयर, खसरा नं. 53 तादादी 1.3277 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 तादादी 2.6807 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 7.7639 हैक्टेयर वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी उतने ही हिस्सा पांति पर काबिज काश्तकार है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 10 तादादी 3.7555 हैक्टेयर, खसरा नं. 53 तादादी 1.3277 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 तादादी 2.6807 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 7.7639 हैक्टेयर वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमेंइब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

ब अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

ब इजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

मघाराम बनाम इन्द्रा देवी आदि
दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु
मुकदमा न0 256 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....

हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़ एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रुप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 10 तादादी 3.7555 हैक्टेयर, खसरा नं. 53 तादादी 1.3277 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 तादादी 2.6807 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल तादादी 7.7639 हैक्टेयर वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरु हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीन करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.................................... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 04 2025

मुहर

दस्तखत ....
उप खण्ड अधिकारी
ओहदा ....
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये।